झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

मेजर ध्यानचंद नगर आवासीय योजना

आवंटन एवं भुगतान की प्रक्रिया :–

- मेजर ध्यानचंद नगर आवासीय योजना में ई0–लॉटरी में सफल हुए आवंटियों को आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष आवंटन–पत्र प्राधिकरण की बेबसाईट (www.jdaup.in) पर Download Allotment Letter पर जाकर, आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर ओ0टी0पी0 के माध्यम से दिनॉक 05.10.2023 से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- आवंटन पत्र पर अंकित तिथि के अनुसार भूखण्ड की धनराशि का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
- **प्रक्रिया–1** भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने की स्थिति में आवंटन पत्र पर अंकित तिथि के अनुसार एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा 16 प्रतिशत् का बिलम्ब ब्याज बकाया धनराशि के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- **प्रक्रिया–2** भूखण्ड की 40 प्रतिशत् धनराशि आवंटन पत्र पर अंकित तिथि के अनुसार एक माह में जमा करना होगा तथा बकाया 60 प्रतिशत् धनराशि जमा करने के लिये किश्तों पर अथवा एकमुश्त का विकल्प आवंटी द्वारा चयनित किया जा सकता है।
  उक्त प्रक्रियाओं में आवंटी द्वारा अपनी सुविधानुसार किसी एक का चयन किया जा सकता है।
- योजना में सफल हुए आवेदकों द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये घोषणा–पत्र (संलग्न) को 10 रूपये के स्टाम्प पर फोटो सहित नोटरी कराकर दिये गये Check Box में आवंटन पत्र डाउनलोड करने के पूर्व अपलोड किया जाना होगा।
- भूखण्ड की किसी भी प्रकार की धनराशि जमा करने हेतु प्राधिकरण की बेबसाईट (www.jdaup.in) पर Online Services में E-Challan के Property Section में जाकर Online अथवा NEFT/RTGS, Cheque, Demand Draft एवं नकद इत्यादि द्वारा भुगतान हेतु चालान निकालकर HDFC Bank में धनराशि जमा की जा सकती है।
- ई0–लॉटरी में असफल हुये आवेदकों द्वारा जमा की गयी पंजीकरण धनराशि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाता सं0 में स्वतः एक सप्ताह में वापस कर दी जायेगी।

नोट :– उपरोक्त बिन्दुओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन करने का अन्तिम अधिकार झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी के पास सुरक्षित होगा।

सम्पत्ति अधिकारी,
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।

San.... Sa....

Scanned with CamScanner

घोषणा

समक्ष श्रीमान सचिव, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

1० मैं (उपरोक्त नामित) एतद द्वारा घोशणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दी गयी पंजीकरण योजना की नियम व शर्तो व दशाओं को स्पष्ट रूप से समझ लिया है और उसका पालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

2० मैं यह घोशित करता हूँ/करती हूँ कि झाँसी विकास क्षेत्र में झाँसी विकास प्राधिकरण आवास विकास परिशद् एवं किसी स्थानीय निकाय सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में मेरे व मेरे परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास कोई आवासीय भूखण्ड/भवन एवं स्वयं का पक्का मकान नहीं हैं।

3० मैं एतद्द्वारा घोशणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरे अधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी नहीं छिपाया गया है और यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझ कर प्राधिकरण को दिये है तो प्राधिकरण को मेरे विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित होगा जो वह उपयुक्त समझे।

4० मैं आवंटन की सभी शर्तो का पालन करूँगा/करूँगी यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।

5० यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के संबंध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भवन/भूखण्ड़ मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी।

6० यदि मुझे या मेरे परिवार (तात्पर्य उपरोक्तानुसार) को एक से अधिक भूखण्ड/भवन आवंटित होते है तो मैं अन्य अतिरिक्त भूखण्डों पर अपना दावा छोडते हुऐ प्राधिकरण के पक्ष में समर्पण कर दूँगा/दूँगी। अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण को आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

7० मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों तक देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान (लगातार दो किश्तों) में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान..........................

दिनाँक.......................

....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट :–

1० उपरोक्त घोषणा संख्या 01 लगायत 07 को 10/– के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र पर दें। मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों तक देयों का भुगतान।

Scanned with CamScanner